

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 98/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बलवन्त राम पुत्र श्री हेमराज जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
2. औम प्रकाश पुत्र श्री हेमराज जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
3. भूप सिंह पुत्र श्री हेमराज जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
4. हेमराज पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर  
— वादीगण

**बनाम**

1. मान सिंह पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
2. राजकुमार पुत्र श्री कृष्ण चन्द्र जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
3. कृष्ण चन्द्र पुत्र श्री लालचन्द जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
4. मंगतु राम पुत्र श्री चैना राम जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
5. रोशनी देवी पत्नि चैना राम जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
6. मीरा देवी पुत्री चैना राम जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील वा जिला श्रीगंगानगर
7. मंगला राम पुत्र श्री चैना राम जाति जाट साकिन महियांवाली तहजिला श्रीगंगानगर
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।  
— प्रतिवादीगण

उपस्थित— अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बतरा  
अधिवक्ता श्री सुभाष मिढढा  
पैरोकार राज

(वादीगण)  
(प्रतिवादी-1 ता 7)  
(प्रति.-8)

**—:: निर्णय ::—**

दिनांक 22.02.2021

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र में अंकित तथ्यानुसार वादीगण तथा प्रतिवादीगण के नाम चक 7 एम एल तहसील श्रीगंगानगर का खाता संख्या 107/20 का मुरबा न0 33, 34 का 2.681 हैक्टर व खाता संख्या 106/96 मुरबा न0 9,24,38,42, की 12.082 हैक्टर, खाता संख्या 105/97 मुरबा न0 29 का 0.645 हैक्. खाता संख्या 60/61 मुरबा न0 29,35,36, मे 6.956 हैक्. कुल 22.364 हैक्टर रकबा जमाबंदी में वादीगण व मंगला राम आदि के स्व० पिता चैना राम के नाम मताबिक मौका व जमाबंदी अनुसार दर्ज है तथा खाला व रास्ता का विवाद रहता है इसलिए वादीगण तथा प्रतिवादीगण आपस में राजीनामा कर लिया है इसलिए वादीगण तथा प्रतिवादीगण अब बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में रकबा अपने अपने नाम से अमलदरामद करवाना चाहते है बंटवारा के अनुसार निम्न प्रकार से रकबा वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से आया है। वादीगण बलवन्त राम के नाम

1.264 हैक. औम प्रकाश के नाम 2.259 हैक. भूप सिंह के नाम 2.258 हैक. पिसरान हेमराज व हेमराज पुत्र श्री लालचन्द के नाम 3.900 हैक. हिस्सा में चक 7 एम एल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 107/20 के मुरबा न0 33 किला न0 20 में .253 हैकटर 21 में 0.228 हैकटर मुरबा न0 34 के किला न0 5/2 में 0.089 हैक.5/3 में 0.038 हैक.6 में 0.253 7/2 में 0.088 हैक. 7/3 में 0.038, 14 ता 17 में 1.012 हैक. 18/3 में 0.114 है 23/3 में 0.114 हैक. 24 में 0.227 है 25 में 0.227 हैकटर कुल 2.681 हैकटर मय खाला व खाता संख्या 106/96 के मुरबा न0 24 के किला न0 13/2 में 0.127 हैक. 14 ता 25 में 3.036 हैक. कुल 3.163 हैक. नहरी व खाता संख्या 60/81 के मुरबा न0 36 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20 में 3.036 में 0.456 हैक. 23 के 0.227 हैक. 4/1 में 0.025 7/2 में 0.025 हैक.14/1 में 0.025 हैक. 17/2 में 0.025 हैक. 24/1 में 0.018 हैक. कुल 3.837 हैक. भूमि अर्थात कुल 9.681 हैक.. भूमि में से हेमराज का 3.900 हैक. हिस्सा, बलवन्त राम का 1.264 हैक. हिस्सा, औम प्रकाश का 2.259 हिस्सा, भूपसिंह का 2.258 हैक. हिस्सा बंटवारा में आया है। यही रकबा इनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण स0 1 मान सिंह व प्रतिवादीगण स0 2 राज कुमार प्रतिवादीगण स0 3 कृष्ण चन्द्र के हिस्सा में निम्न प्रकार से रकबा चक 7 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 105/97 का मुरबा न0 29 के किला न0 5/1 में 0.202 हैक. 6/2 में 0.037 हैक. 7 में 0.253 हैकटर 8/1 में 0.127 हैकटर कुल 0.619 हैक.नहरी खाता संख्या 106/96 के मुरबा न0 9 के किला न0 3/1 में 0.228, 3/2 का 0.025 हैक. 4/1 में 0.227 हैक. 4/2 का 0.026 हैक. किला न0 7, 8, 14, 17, 24, का 1.265 हैक. कुल 1.771 हैक. नहरी मय खाल, मुरबा न0 38 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10, 11 ता 25 में 5.819 हैक. मुरबा न0 42 के किला न0 3/2 में 0. 114 हैक. 3/3 में 0.012 हैक. खाला 7 में 0.253 हैक. 8/1 में 0.127 हैक. 13/2 में 0.127 हैक., 14 में 0.253 हैक. 17/2 में 0.190 हैक. 18/1 में 0.126 हैक. 23/2 में 0.127 हैकटर कुल 1.329 हैक.नहरी मय खाला, खाता संख्या 60/61 के मुरबा न0 29 के किला न0 3/2 में 0.138 हैकटर अर्थात हैक. भूमि में से कृष्ण चन्द्र का 3.622 हैक. हिस्सा व मान सिंह का मार का 2.530 हैक.हिस्सा भूमि बंटवारा में आई है। 3.524 हैक. हिस्सा राज कुमार का 2.530 हैक. हिस्सा भूमि बंटवारा में आई है इसी रकबा का राजस्व रिकार्ड में इनके नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण संख्या 4 से मंगला राम पुत्र चैना राम, मगतू राम पुत्र चैनाराम, रोशनी देवी पत्नी चैना राम, मीरा देवी पुत्री चैना राम पुत्र चैना राम व रोशनी देवी पत्नि जैन के हिस्सा में चक 7 एम एल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 60/61 मुरबा न0 29 किला न0 3/1 में 0.115 हैक. मुरबा न0 35 के किला न0 11/2 में 0.025 हैकटर 20 में 0.253 हैकटर 21 में 0.228 हैकटर कुल 0.506 हैकटर मुरबा न0 36 के किला न0 4/2 में 0.228 हैकटर 5 में 0.253 हैकटर 6 में 0.253 हैकटर 7/1 में 0.228 हैकटर 14/2 में 0.228 हैकटर 15 में 0.253 हैकटर 16 में 0.253 हैकटर 17/1 में 0.228 हैकटर 24/2 में 0.209 हैक. 25 में 0.227 हैक. कुल 2.360 हैक. अर्थात कुल 2.981 हैक. भूमि बंटवारा आई है यही भूमि इनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे। वादी सं0 4 हेमराज व प्रतिवादी स0 3 कृष्ण चन्द्र का संयुक्त खाता, खाता संख्या 105/97 मुरबा न0 29 किला न0 5/2 का 0.013 हैक. व किला न0 6/1 का 0.013 हैक. कुल 0.026 हैकटर भूमि मय दो टयूबवैल बहिब में हिस्सा में आया है। उपरोक्त घरू बंटवारा होने के बाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि राजस्थान सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा जो किसानो के हित में योजनाये बनाई गई है उनका लाभ प्राप्त कर सके लेकिन राजस्व रिकार्ड में रकबा दर्ज ना होने की वादीगण व प्रतिवादीगण को कोई लाभ नहीं मिल रहा है .किया जाना अति आवश्यक है। .वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को मौखिक रूप से कई बार कहा कि उपरोक्क रकबा बंटवारा के आधार पर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाया जावे ताकि अलग से पानी पर्ची व आबयाना जमा करवा सके लेकिन अब प्रतिवादीगण ने राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवाने से साफ इनकार हो गये इसलिए वादी को वाद प्रस्तुत करने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा है। उपरोक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में कुछ कम व कुछ ज्यादा दर्ज किये गये है जब कि सबका बराबर हक व हिस्सा बनता हैइसलिए वादीगण अपने हिस्सा के अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी है। चक 7 एम एल का खाता सं0 60/61 में खातेदार चैना राम पुत्र श्री दल्लू राम के नाम से रकबा दर्ज है परन्तु खातेदार चैना राम का देहान्त दिनांक 23.09.2011 को हो चुका है इसलिए दावा में चैना राम के वारिसान रोशनी देवी पत्नि,मीरा देवी पुत्री मंगला राम पुत्र, मंगतुराम पुत्र को वादीगण व प्रतिवादीगण बनाये गये है जो सभी गाना है।वारिसान कोपी व मृत्यु प्रमाण की नकल सलग्न है। लिहाजा दावा पेश करके अर्ज है कि अर्ज है कि दावा निम्न प्रकार से डिकी फरमाया जावे:-



(क) यह कि वादीगण बलवन्त राम के नाम 1.264 है और प्रकाश के नाम 2.259 है। भूप सिंह के नाम 2.258 है। पिसरान हेमराज व हेमराज पुत्र श्री लालचन्द के नाम 3.900 है। हिस्सा में चक 7 एम एल तहसील वा जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 107/20 के मुरबा नं 33 किला नं 20 में 0.253 है। क्टयर 21 में 0.228 है। क्टयर मुरबा नं 34 के किला नं 5/2 में 0.089 है। 5/3 में 0.038 है। 6 में 0.253 7/2 में 0.088 है। 7/3 में 0.038, 14 ता 17 में 1.012 है। 18/3 में 0.114 है। 23/3 में 0.114 है। 24 में 0.227 है। 25 में 0.227 है। क्टयर कुल 2.681 है। क्टयर मय खाला व खाता संख्या 106/96 के मुरबा नं 24 के किला नं 13/2 में 0.127 है। 14 ता 25 में 3.036 है। कुल 3.163 है। नहरी व खाता संख्या 60/61 के मुरबा नं 36 के किला नं 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20 में 3.036 है। 21, 22 में 0.456 है। 23 के 0.227 है। 4/1 में 0.025 है। 7/2 में 0.025 है। 24/1 में 0.018 है। कुल 3.837 है। भूमि अर्थात् कुल 9.681 है। भूमि में से हेमराज का 3.900 है। हिस्सा, बलवन्त राम का 1.264 है। हिस्सा और प्रकाश का 2.259 है। हिस्सा, भूप सिंह का 2.258 है। रकबा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज किया जावे तथा वादीगण के नाम अलग लगान कायम किया जाने की डिक्री पारित की जावे।

(ख) यह कि वादी सं 4 हेमराज व प्रतिवादी सं 3 कृष्ण चन्द्र का संयुक्त खाता, खाता संख्या 105/97 मुरबा नं 29 किला नं 5/2 का 0.013 है। व किला नं 6/1 का 0.013 है। कुल 0.026 है। क्टयर भूमि मय दो ट्यूबवैल बहिब

(ग) यह कि प्रतिवादीगण के हिस्सा में रकबा दर्ज किया गया है वह उसके नाम दर्ज किया जावे तो वादीगण को कोई ऐतराज नहीं है तथा उसके नाम डिक्री जारी की जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी संख्या 1 ता 4 एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 द्वारा दिनांक 27.10.2020 को आपसी सहमति के आधार पर राजीनामा पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार हम पक्षकारान के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है, उक्त राजीनामा के आधार पर हम पक्षकारान के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे, तो इसमें किसी भी पक्षकार को कोई आपति व ऐतराज नहीं है, राजीनामा के अनुसार रकबा निम्न प्रकार से हिस्सा में आया है:-

1. यह कि वादी बलवन्त राम के नाम 1.264 है, वादी और प्रकाश के नाम 2.259 है, वादी भूप सिंह के नाम 2.258 है पिसरान हेमराज व वादी हेमराज पुत्र लालचंद के नाम 3.900 है हिस्सा में चक 7 एम एल तहसील व जिला श्री गंगानगर के खाता सं 107/20 के मु 33, किला नं 20 में 0.253 है, किला नं 21 में 0.228 है, मु 34 के किला नं. 5/2 में 0.089 है, किला नं. 5/3 में 0.038 है, किला नं 6 में 0.253 है, किला नं 7/2 में 0.088 है, किला नं 7/3 में 0.038 है, किला नं 14 ता 17 में 1.012 है, किला नं 18/3 में 0.114 है, किला नं 23/3 में 0.114 है, किला नं 24 में 0.227 है, किला नं 25 में 0.227 है, कुल 2.681 है मय खाला व खाता सं 106/96 के मु 24 के किला नं 13/2 में 0.127 है, किला नं 14 ता 25 में 3.036 है, कुल 3.163 है। नहरी व खाता सं 60/61 के मु 36 के किला नं 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20 में 3.036 है, किला नं 21, 22 में 0.456 है, किला नं 23 में 0.227 है। किला नं 4/1 में 0.025 है, किला नं 7/2 में 0.025 है। किला नं 14/1 में 0.025 है, किला नं 17/2 में 0.025 है, किला नं 24/1 में 0.018 है, कुल 3.837 है भूमि अर्थात् कुल 9.681 है। भूमि में से हेमराज का 3.900 है हिस्सा, बलवन्त राम का 1.264 है हिस्सा, और प्रकाश का 2.259 है हिस्सा, भूप सिंह का 2.258 है। हिस्सा भूमि बंटवारा में आया है, यही रकबा इनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।
2. यह कि प्रतिवादी सं 1 मान सिंह व प्रतिवादी सं 2 राजकुमार, प्रति सं 3 कृष्णचन्द्र के हिस्सा में निम्न प्रकार से रकबा चक 7 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं 105/97 का मु 29 के किला नं 5/1 में 0.202 है, किला नं 6/2 में 0.037 है, किला नं 7 में 0.253 है, किला नं 8/1 में 0.127 है कुल 0.619 है। नहरी, खाता सं 106/96 के मु 9 के किला नं 3/1 में 0.228 है, किला नं 3/2 का 0.025 है, किला नं 4/1 में 0.227 है, किला नं 4/2 का 0.026 है, किला नं 7, 8, 14, 17, 24 का 1.265 है, कुल 1.771 है नहरी मय खाला, मु 38 के किला नं 1 ता 4, 7 ता 10, 11 ता 25 में 5.819 है, मु 42 के किला नं 3/2 में 0.114 है, किला नं 3/3 में 0.012 है खाला, किला नं 7 में 0.253 है, किला नं 8/1 में 0.127 है, किला

न० 13/2 में 0.127 है०, किला न० 14 में 0.253 है०, किला न० 17/2 में 0.190 है०, किला न० 18/1 में 0.126 है०, किला न० 23/2 में 0.127 है०, कुल 1.329 है०. नहरी मय खाला, खाता सं० 60/61 के मु० न० 29 के किला न० 3/2 में 0.138 है०. अर्थात् कुल 9.676 है० भूमि में से कृष्णचन्द्र का 3.622 है०. हिस्सा व मान सिंह का 3.524 है० हिस्सा, राजकुमार का 2.530 है०. हिस्सा भूमि बंटवारा में आयी है, इसी रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में इनके नाम दर्ज किया जावे।

3. यह कि प्रतिवादी सं० 4 से 6 मंगलाराम पुत्र चैनाराम, मंगतूराम पुत्र चैनाराम व रोशनी देवी पत्नी चैनाराम, मीरा देवी उर्फ सजना पुत्री चैनाराम के हिस्सा में चक 7 एम एल तह० व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं० 60/61, मु० न० 29 के किला न० 3/1 में 0.115 है०, मु० न० 35 के किला न० 11/2 में 0.025 है०, किला न० 20 में 0.253 है०, किला न० 21 में 0.228 है०, कुल 0.506 है०, मु० न० 36 के किला न० 4/2 में 0.228 है०, किला न० 5 में 0.253 है०, किला न० 6 में 0.253 है०, किला न० 7/1 में 0.228 है०, किला न० 14/2 में 0.228 है०, किला न० 15 में 0.253 है०, किला न० 16 में 0.253 है०, किला न० 17/1 में 0.228 है०, किला न० 24/2 में 0.209 है०, किला न० 25 में 0.227 है० कुल 2.360 है०. अर्थात् कुल 2.981 है० भूमि मय दो ट्यूबवेल बहिस्सा बराबर में आयी है। लिहाजा राजीनामा प्रस्तुत करके अर्ज है कि राजीनामानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद करने का आदेश फरमाया जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की ओर से स्टेट जवाब पेश हुआ।

वहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादीगण द्वारा चैनाराम का मृत्युप्रमाण पत्र एवं कार्यालय ग्राम पंचायत महियावाली द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 03.1.2011 के अनुसार रोशनी देवी पत्नी श्री चैनाराम पेश किया जिसके अवलोकन से चैनाराम के समस्त वारिसान पत्रावली पर पक्षकार के रूप में संयोजित है। वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 106/96, जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 107/20, जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 60/61, जमाबंदी सम्वत् 2073-2076 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 105/97, जमाबंदी सम्वत् 2065-2068 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 35/28, जमाबंदी सम्वत् 2065-2068 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 8/22, जमाबंदी सम्वत् 2065-2068 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 52/42, जमाबंदी सम्वत् 2065-2068 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 86/72, जमाबंदी सम्वत् 2065-2068 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 87/73, जमाबंदी सम्वत् 2065-2068 ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 88/74 की प्रतियां पेश की। विरास्तन इंतकाल के साक्ष्य स्वरूप जमाबंदी ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 128 लगातार/26, जमाबंदी ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 128 लगातार /32, जमाबंदी ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 128 लगातार /96, जमाबंदी ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 128 लगातार /26, जमाबंदी ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 128 लगातार /26, जमाबंदी ग्राम 7 एमएल, पटवार हल्का महियावाली भू.अ.नि. क्षेत्र नेतेवाला खाता संख्या 128 लगातार /96 पेश की। वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा वाद संख्या 125/2008 धारा 53, 88 राज. काश्त. अधि. में जारी डिक्री दिनांक 31.12.1990 की प्रति पेश की। पंजीकृत दस्तावेज वसीयत नामा श्रीमती हीरादेवी पत्नी लालचंद वहक श्री हेमराज एवं कृष्णचन्द्र पिसरान श्री लालचंद दिनांकित 14.12.2004 की प्रति पेश की। उक्त दस्तावेजात एवं जमाबंदीयों के अवलोकन करने से उक्त वादग्रस्त भूमि पैतृक होना सिद्ध होता है।

  
अपक्ष अधिकारी  
श्रीगंगानगर

—: आदेश :-

वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार से हैं। प्रकरण में वादी एवं प्रतिवादी के मध्य किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं है, एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य पारिवारिक समझौता हो चुका है।

“राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।”

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्नानुसार खातेदार घोषित किया जाता है :-

1. वादी बलवन्त राम के नाम 1.264 है0, वादी औमप्रकाश के नाम 2.259 है0, वादी भूप सिंह के नाम 2.258 है0 पिसरान हेमराज व वादी हेमराज पुत्र लालचंद के नाम 3.900 है0 हिस्सा में चक 7 एम एल तह0 व जिला श्री गंगानगर के खाता सं0 107/20 के मु0 न0 33, किला न0 20 में 0.253 है0, किला न0 21 में 0.228 है0, मु0 न0 34 के किला नं. 5/2 में 0.089 है0, किला नं. 5/3 में 0.038 है0, किला न0 6 में 0.253 है0, किला न0 7/2 में 0.088 है0, किला न0 7/3 में 0.038 है0, किला न0 14 ता 17 में 1.012 है0, किला न0 18/3 में 0.114 है0, किला न0 23/3 में 0.114 है0, किला न0 24 में 0.227 है0, किला न0 25 में 0.227 है0, कुल 2.681 है0 मय खाला व खाता सं0 106/96 के मु0 न0 24 के किला न0 13/2 में 0.127 है0, किला न0 14 ता 25 में 3.036 है0, कुल 3.163 है0. नहरी व खाता सं0 60/61 के मु0 न0 36 के किला न0 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 20 में 3.036 है0, किला न0 21, 22 में 0.456 है0, किला न0 23 में 0.227 है0. किला न0 4/1 में 0.025 है0, किला न0 7/2 में 0.025 है0. किला न0 14/1 में 0.025 है0, किला न0 17/2 में 0.025 है0, किला न0 24/1 में 0.018 है0, कुल 3.837 है0 भूमि अर्थात् कुल 9.681 है0. भूमि में से हेमराज का 3.900 है0 हिस्सा, बलवन्त राम का 1.264 है0 हिस्सा, औमप्रकाश का 2.259 है0 हिस्सा, भूप सिंह का 2.258 है0 हिस्सा भूमि।
2. प्रतिवादी सं0 1 मान सिंह व प्रतिवादी सं0 2 राजकुमार, प्रति0 सं0 3 कृष्णचन्द्र के हिस्सा में निम्न प्रकार से रकबा चक 7 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0 105/97 का मु0 न0 29 के किला न0 5/1 में 0.202 है0, किला न0 6/2 में 0.037 है0, किला न0 7 में 0.253 है0, किला न0 8/1 में 0.127 है0 कुल 0.619 है0. नहरी, खाता सं0 106/96 के मु0 न0 9 के किला न0 3/1 में 0.228 है0, किला न0 3/2 का 0.025 है0, किला न0 4/1 में 0.227 है0, किला न0 4/2 का 0.026 है0, किला न0 7, 8, 14, 17, 24 का 1.265 है0, कुल 1.771 है0 नहरी मय खाला, मु0 न0 38 के किला न0 1 ता 4, 7 ता 10, 11 ता 25 में 5.819 है0, मु0 न0 42 के किला न0 3/2 में 0.114 है0, किला न0 3/3 में 0.012 है0 खाला, किला न0 7 में 0.253 है0, किला न0 8/1 में 0.127 है0, किला न0 13/2 में 0.127 है0, किला न0 14 में 0.253 है0, किला न0 17/2 में 0.190 है0. किला न0 18/1 में 0.126 है0, किला न0 23/2 में 0.127 है0, कुल 1.329 है0. नहरी मय खाला, खाता सं0 60/61 के मु0 न0 29 के किला नं0 3/2 में 0.138 है0. अर्थात् कुल 9.676 है0 भूमि में से कृष्णचन्द्र का 3.622 है0 हिस्सा व मान सिंह का 3.524 है0 हिस्सा, राजकुमार का 2.530 है0 हिस्सा भूमि।
3. प्रतिवादी सं0 4 से 6 मंगलाराम पुत्र चैनाराम, मंगतूराम पुत्र चैनाराम व रोशनी देवी पत्नी चैनाराम, मीरा देवी उर्फ सजना पुत्री चैनाराम के हिस्सा में चक 7 एम एल तह0 व जिला श्रीगंगानगर के खाता सं0 60/61, मु0 न0 29 के किला न0 3/1 में 0.115 है0, मु0 न0 35 के किला न0 11/2 में 0.025 है0, किला न0 20 में 0.253 है0, किला न0 21 में 0.228 है0, कुल 0.506 है0, मु0 न0 36 के किला न0 4/2 में 0.228 है0, किला न0 5 में 0.253 है0, किला न0 6 में 0.253 है0, किला न0 7/1 में 0.228 है0, किला न0 14/2 में 0.228 है, किला न0 15 में 0.253 है0, किला न0 16 में 0.253 है0, किला न0 17/1 में 0.228 है0, किला न0 24/2 में 0.209 है0, किला न0 25 में 0.227 है0 कुल 2.360 है0. अर्थात् कुल 2.981 है0 भूमि।

  
उपसुण्ड अधिकारी  
श्रीगंगानगर


वादी सं० 4 हेमराज व प्रतिवादी सं० 3 कृष्णचन्द्र का संयुक्त खाता, खाता सं० 105/97,  
मु० न० 29 के किला न० 5/2 का 0.013 है० व किला न० 6/1 का 0.013 है०, कुल  
0.026 है०. भूमि मय दो ट्यूबवेल बहिस्सा बराबर।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क  
प्रयुक्त किये जानें पर आदशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व  
अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम्  
उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम  
किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें  
किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 22.02.2021 को जारी  
किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष को बुलाकर सुनाया गया।

  
(उम्मेद सिंह रतन)  
उपखण्ड अधिकारी एवम्  
पदेन सहायक अधिकारी  
श्रीगंगानगर  
बीगंगानगर